अनु-01

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

पत्रांकः– 01–सू०प्रा०(स्था०)–60 / 2023.....2134..... पटना, दिनांकः– ...16/X/26...

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सूचना प्रावैधिकी अवर सेवा के गठन और उसमें भर्ती की पद्धति तथा सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।–**

(i) यह नियमावली **"बिहार सूचना प्रावैधिकी अवर सेवा नियमावली, 2026"** कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ – जब तक इस विषय या संदर्भ में कुछ अन्यथा न हो, इस नियमावली में**

(क) **''आयोग''** से अभिप्रेत है ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग'';

(ख) **''नियुक्ति प्राधिकार''** से अभिप्रेत है; प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग

(ग) **''राज्यपाल''** से अभिप्रेत है ''बिहार के राज्यपाल'';

(घ) **''राज्य सरकार''** से अभिप्रेत है ''बिहार की राज्य सरकार'';

(ङ) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है ''वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक'' की अवधि;

(च) **''वर्ष के अंदर रिक्ति''** से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्यूत किये जाने से उपलब्ध रिक्ति;

(छ) **''विभाग''** से अभिप्रेत है ''सूचना प्रावैधिकी विभाग'';

क्रमशः 2/–

(ज) "**विभागीय प्रोन्नति समिति**" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय–समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति;

(झ) "**सेवा**" से अभिप्रेत है "बिहार सूचना प्रावैधिकी अवर सेवा";

(ञ) "**सेवा का सदस्य**" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन "बिहार सूचना प्रावैधिकी अवर सेवा" में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति;

(त) "**संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार**" से अभिप्रेत है "प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग"।

3. **संवर्ग की संरचना** ।–

(क) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी :–

क्र०	कोटि	पदनाम
1.	मूल कोटि (अराजपत्रित)	तकनीकी पदाधिकारी

(ख) उपर्युक्त कोटि का पदबल एवं वेतनमान/वेतनस्तर वही होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(ग) यह संवर्ग अराजपत्रित राज्य स्तरीय होगा तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा।

4. **अधियाचना** ।–

संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सेवा में नियुक्ति हेतु रिक्तियाँ निर्धारित की जाएगी जिसे आयोग को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अधियाचित किया जाएगा।

5. **आरक्षण** ।–

इस सेवा में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होगें।

क्रमशः 3/–

6. उम्र सीमा :—

सीधी भर्त्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

7. तकनीकी पदाधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती से नियुक्ति ।—

(i) तकनीकी पदाधिकारी ग्रेड के पदों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित चयन पद्धति के अनुसार अनुशंसित अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ii) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण सूचना प्रावैधिकी विभाग के परामर्श से बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

8. सीधी भर्ती से नियुक्ति की शैक्षणिक अर्हता ।—

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Computer Science/ Information Technology/Electronics & Equivalent संकाय में बी0ई0 / बी0टेक0 / एम0सी0ए0।

9. परिवीक्षा ।—

(क) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ख) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तभी अनुमान्य होगी जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

10. प्रशिक्षण ।—

सेवा के नवनियुक्त सदस्यों को सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः .....4/—

11. **विभागीय परीक्षा** ।— केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभाग के परामर्श से एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जायेगा एवं परीक्षा का संचालन किया जायेगा। सेवा के नवनियुक्त सदस्य को राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

12. **सम्पुष्टि** ।—

परिवीक्ष्यमान रूप में सीधी भर्ती से नियुक्त तकनीकी सहायक परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :—

(क) विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया हो;

(ख) यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो, एवं

(ग) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो।

13. **वरीयता** ।—

इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगी।

14. **अनुशासनिक कार्रवाई** ।— बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान संवर्ग में भी प्रभावी होगें।

15. **विनियम बनाने की शक्ति** ।—

इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति से, विनियमावली बना सकेगा।

16. **विसंगतियों/शंकाओं का निराकरण** ।—

इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विसगंतियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

क्रमशः .....5/—

17. अवशिष्ट मामले ।—

जिन विषयों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में किये गए प्रावधानों से इस सेवा के सदस्य भी शासित होंगे।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति ।—

इस नियमावली के पूर्व निर्गत तत्संबंधी सभी नियमावली/निर्देश आदि निरसित समझे जाएँगे। ऐसे निरसित के बावजूद प्रासंगिक नियमावली/निर्देश आदि के तहत किए गए कार्य एवं की गई कार्रवाई इस नियमावली के तहत किए गए कार्य समझे जाएँगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16/X/26

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 01—सू०प्रा०(स्था०)—60/2023 2134 पटना, दिनांक 16/X/26

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० की दो प्रतियों के साथ राजपत्र के अगले गजट में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

मुद्रित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ सूचना प्रौवैधिकी विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

16/X/26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 0101—सू०प्रा०(स्था०)—60/2023 2134. पटना, दिनांक 16/X/26

प्रतिलिपिः महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/X/26

सरकार के सचिव

90

Annexure – 1

Government of Bihar
Department of Information Technology

NOTIFICATION

Memo No.: 01-I.T. (Estb.)-60 / 2023.....2134..... Patna, Date: ...16/5/26...

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules to regulate the constitution of the Bihar Information Technology Subordinate Service and the recruitment process and conditions of service therein:

1. Short title, Extent and Commencement :-

(i) These rules may be called the **"Bihar Information Technology Subordinate Service Rules, 2026"**.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions :-

Unless there is anything repugnant in the subject or context, in these rules.

(a) **"Commission"** means the "Bihar Technical Service Commission";

(b) **"Appointing Authority"** means the Principal Secretary / Secretary, Department of Information Technology;

(c) **"Governor"** means the "Governor of Bihar";

(d) **"State Government"** means the "State Government of Bihar";

(e) **"Year"** means the period of a "financial year, i.e., from 1st April to 31st March of the following year";

(f) **"Vacancy within the Year"** means vacancies arising due to the creation of new posts, retirement, death, removal, or dismissal from service;

(g) **"Department"** means the "Department of Information Technology";

(h) **"Departmental Promotion Committee"** means the Departmental Promotion Committee constituted by the Government from time to time;

(i) **"Service"** means the "Bihar Information Technology Subordinate Service";

(j) **"Member of the Service"** means a person appointed and included in the "Bihar Information Technology Subordinate Service" under the provisions of these rules;

(Contd . 2/-)

(k) "Cadre Controlling Authority" means the "Principal Secretary / Secretary, Department of Information Technology".

3. Cadre Structure :-

(a) The structure of this cadre shall be as follows :-

Sl. No.	Category	Designation
1.	Basic Category (Non-Gazetted)	Technical Officer

(b) The strength of posts and scale of pay / pay level for the above category shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

(c) This cadre shall be a Non-Gazetted State Level Cadre and shall remain under the administrative control of the Department of Information Technology.

4. Requisition :-

Vacancies for appointment to the service shall be determined by the Cadre Controlling Authority every year by 31st March, which shall be requisitioned to the Commission every year by 30th April.

5. Reservation :-

The reservation provisions determined by the State Government from time to time shall apply to appointments in this service.

6. Age Limit :–

The minimum age of a candidate for direct recruitment shall not be less than twenty-one years as on the first of August of the year in which applications are invited. The maximum age limit shall be the same as determined by the General Administration Department of the State Government from time to time.

7. Appointment by Direct Recruitment to Technical Officer Grade :-

(i) The posts of Technical Officer Grade shall be filled by candidates recommended according to the selection procedure determined by the Bihar Technical Service Commission.

(ii) The syllabus for the competitive examination shall be decided by the Bihar Technical Service Commission in consultation with the Department of Information Technology.

(Contd. 3/)

8. Educational Qualification for Appointment by Direct Recruitment :-

B.E. / B.Tech. / M.C.A. in Computer Science / Information Technology / Electronics & Equivalent faculty from any recognized University.

9. Probation :-

(a) Government servants appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission shall remain on probation for a period of 01 (one) year. If the service is not found satisfactory during the probation period, it may be extended for another 01 (one) year. If the service remains unsatisfactory even during the extended period, the service may be terminated.

(b) After the first increment post-appointment, the next increment shall be admissible only when the candidate passes the prescribed departmental examination.

10. Training :-

It shall be mandatory for the newly appointed members of the service to undergo induction training as prescribed by the Government.

11. Departmental Examination :-

The determination of subjects, syllabus, and procedure for the departmental examination shall be made in consultation with the Department and with the concurrence of the General Administration Department, and the examination shall be conducted by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar, Patna. It shall be mandatory for newly appointed members of the service to pass the departmental examination conducted by the Board of Revenue.

12. Confirmation :-

A Technical Assistant appointed through direct recruitment on a probationary basis shall be eligible for confirmation in service upon completion of the probation period, subject to the following conditions:

(a) Has passed the prescribed departmental examination;

(b) Has completed the induction training as prescribed, and has passed the examination, if any, held at the end of the training; and

(c) Conduct and service during this period have been satisfactory.

13. Seniority :-

The determination of the seniority of the members of this service shall be in accordance with the principles and procedure laid down by the General Administration Department of the State Government from time to time.

(Contd... 4/)

14. Disciplinary Action :-

The provisions of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall also apply to the cadre.

15. Power to Frame Regulations :-

To give effect to the provisions of these rules, the Department may, as per necessity, frame regulations with the concurrence of the General Administration Department and the Law Department.

16. Removal of Anomalies / Doubts :-

The power to resolve all anomalies / doubts related to the implementation of the provisions of these rules shall vest in the State Government.

17. Residual Matters :-

In respect of matters for which specific provision has not been made in these rules, the members of this service shall be governed by the provisions made by the State Government in respect of employees of equivalent status.

18. Repeal and Savings :-

All relevant rules/instructions, etc., issued prior to these rules shall be deemed to be repealed. Notwithstanding such repeal, actions taken and proceedings initiated under the relevant rules/instructions, etc., shall be deemed to have been taken under these rules.

By order of the Governor of Bihar,

16/X/26

(Abhay Kumar Singh)
Secretary

Memo No.: 01-I.T. (Estb.)-60 / 2023 ..2134.. Patna, Date: 16/X/26

Copy to: Superintendent, Secretariat Press, Patna / Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna, forwarded along with two CD copies for publication in the upcoming issue of the Gazette.

Kindly make available 500 (five hundred) copies of the printed Gazette to the Department of Information Technology, Bihar, Patna.

Secretary 16/X/26

Memo No.: 01-I.T. (Estb.)-60 / 2023 ..2134.. Patna, Date: 16/X/26

Copy to: Secretary to His Excellency the Governor / Secretary to Chief Minister / Chief Secretary / All Additional Chief Secretaries / All Principal Secretaries / All Secretaries / All Heads of Departments / All Divisional Commissioners / All District Magistrates, forwarded for information and necessary action.

Secretary 16/X/26